भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1751

जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है

पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी)

1751. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों में परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने हेतु अनुमोदित सड़क परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में परियोजना-बार कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) क्या सम्पूर्ण देश में दुर्घटना दर को कम करने के लिए हाल ही में कोई अध्ययन कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रधान मंत्री सड़क सुरक्षा योजना के अंतर्गत उठाए गए कदमों सहित सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ.) सम्पूर्ण देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों, विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड में कनेक्टिविटी की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) केंद्र सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। एमओआरटीएच की सभी एनएच विकास परियोजनाओं की योजना पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के सिद्धांतों के अनुरूप बनाई गई है। गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों के लिए विगत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई एनएच परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है: -

					लंबाई किलोमीटर में; लागत करोड़ रुपये में
क्र.सं.	राज्य	2023-24		2024-25 (30.10.2024 तक)	
		लंबाई	लागत	लंबाई	लागत
1	गुजरात	533	12,427	89	2,918
2	झारखंड	197	2,405	26	29
3	महाराष्ट्र	1,166	12,759	320	1,929

(ख) सरकार परियोजना-वार निधि आवंटित नहीं करता है। विगत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित निधियों और किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	राज्य	लागत करोड़ रुपये में			
		2023-24		2024-25 (30.10.2024 तक)	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	गुजरात	10,900	10,900	4,649	4,455
2	झारखंड	4,599	4,599	2,809	2,630
3	महाराष्ट्र	19,867	19,867	11,887	10,504

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से सड़क दुर्घटना के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाएं बहु-कारण होती हैं और विभिन्न कारकों के परस्पर क्रिया का परिणाम होती हैं जिन्हें मोटे तौर पर मानवीय भूल, सड़क की स्थिति/पर्यावरण और वाहनों की स्थिति में वर्गीकृत किया जा सकता है।

सड़क सुरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। सड़क सुरक्षा के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण संलग्न है।

(ड़) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 1,46,195 किमी है। 2023-24 और 2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई क्रमशः 12,349 किमी और 3,914 किमी है। विगत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों में निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	राज्य	निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई(किमी में)	
		2023-24	2024-25 (30.10.2024 तक)
1	गुजरात	622	213
2	झारखंड	248	63
3	महाराष्ट्र	1,463	418

अनुबंध

पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के संबंध में श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा और श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा पूछे गए दिनांक 05-12-2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1751 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सड़क सुरक्षा के मुद्दों का समाधान करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण: -

(1) शिक्षा:

i. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सड़क सुरक्षा प्रचार योजना लागू की है।

ii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह मनाना।

iii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना के लिए एक योजना लागू की है।

(2) इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों)

2.1 सड़क इंजीनियरिंग

i. सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) का सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों/विशेषज्ञों के माध्यम से सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव आदि में करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

iii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को आरएसए और सड़क सुरक्षा संबंधी अन्य कार्यों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है।

iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना लागू की है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन मिल सके।

vi. सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन न करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 में प्रावधान किए गए हैं।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. मंत्रालय ने वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एक एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान किया है।

ii. मंत्रालय ने सवारी करने या मोटर साइकिल पर ले जाने वाले चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं। इसमें एक सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित किया गया है।

iii. निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को लगाने के लिए अनिवार्य प्रावधान: -

एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:

- ड्राइवर और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)
- सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड
- अति रफ्तार चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

- रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल है] एम [यात्रियों को परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)।

v. मंत्रालय ने दो पहिया, तीन पहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल वाहन, एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति नियंत्रण फंक्शन / गति नियंत्रण डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है।

vi. स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए, जो स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं।

vii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की और पुराने, अनुपयुक्त तथा प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया।

viii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की योजना।

ix. यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा शुरू करने और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम (बीएनसीएपी) के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

x. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बसों के निर्माण के क्षेत्र में निर्धारित समान अवसर के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

xi. 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित अनिवार्य वाहनों को एन2 (3.5 टन से अधिक लेकिन 12.0 टन से कम वाले सकल वाहन भार वाले माल वाहन) और एन3 (12.0 टन से अधिक

सकल वाहन भार वाले माल वाहन) श्रेणी के वाहनों के केबिन को एयर कंडीशनिंग प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा।

xii. 01 अप्रैल, 2025 से श्रेणी एम, एन और एल7 के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबली, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और संयम प्रणालियों की स्थापना के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान प्रदान करने के लिए सुरक्षा बेल्ट, संयम प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर के मानकों के संशोधन के लिए नियम प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहन एआईएस-145-2018 के अनुसार सभी आगे की ओर वाली पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करेंगे।

(3) प्रवर्तन

i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान है।

ii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम जारी किए हैं। इन नियमों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत शामिल शहरों महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च सघनता वाले गलियारों में इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाने के विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं।

iii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 10 जून, 2024 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय करने का परामर्श जारी किया है।

(4) आपातकालीन देखभाल:

i. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे नेक नागरिक (गुड समारिटन) की सुरक्षा की बात कही है जो सद्भावनापूर्वक, स्वेच्छा से तथा किसी पुरस्कार या मुआवजे की अपेक्षा के बिना दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करते हैं या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाते हैं।

ii. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के मुआवजे को बढ़ा दिया है (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये)।

iii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर के टोल प्लाजाओं पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस तैनात करने का प्रावधान किया है।

iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ मिलकर चंडीगढ़, हरियाणा,पंजाब,उत्तराखंड,पुडुचेरी और असम में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नगदीरहित उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम लागू किया है।

*****